राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर

क्रमांकःसं.27—3(4)पदो./अभि/2023/539-45 जयपुर, दिनांकः 29/01/2024

प्रेषितः—

उप निदेशक अभियोजन,
भीलवाडा।

विषयः—श्रीमती चेतना व्यास,सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पदोन्नति पर कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति पर शिथिलन के संबंध में।
प्रसंगः—आपका पत्रांक उनिअ/भील/स्था/24/67 दिनांक 09.01.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक सं.24—3(3)पदो/अभि/2023/1428—78 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा श्रीमती चेतना व्यास को वर्ष 2023—24 की रिक्ति की दिनांक 01.04.2023 के विरूद्व अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई थी। इस पदोन्नति आदेश के क्रम में निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक सं3—5(2)स्था/मंत्रा/अभि/23/1479—578 दिनांक 29—12—2023 के द्वारा इनका पदोन्नति पर पदस्थापन उप निदेशक अभियोजन, भीलवाडा कार्यालय से उप निदेशक अभियोजन, बूंदी कार्यालय में किया गया था ।

आपने प्रासंगिक पत्र द्वारा श्रीमती चेतना व्यास,सहायक प्रशासनिक अधिकारी के दिनांक 22.12.2023 से 18.06.2024 तक मातृत्व अवकाश पर होने के कारण इनके द्वारा पदोन्नति फोरगो नहीं करने व अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद पर अवकाश काल से लौटने तक कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति में शिथिलन चाहने बाबत कार्मिका का अभ्यावेदन विभाग को भिजवाया है। अतः श्रीमती चेतना व्यास, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के अभ्यावेदन को स्वीकार करते हुए इनके अवकाश काल अवधि पूर्ण होने तक इनके पदोन्नति पर उपस्थिति/कार्यमुक्ति में शिथिलन प्रदान किया जाता है, साथ ही आपको निर्देशित किया जाता है कि इनका मातृत्व अवकाश पूर्ण होने पर इन्हें तत्काल पदोन्नति पद पर उपस्थिति दिये जाने हेतु उप निदेशक अभियोजन,बूंदी कार्यालय के लिए कार्यमुक्त करें। इनके अवकाश अवधि में किसी भी प्रकार की अभिवृद्वि नहीं की जावे।

(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिःनिम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन,राजस्थान जयपुर ।
2. संयुक्त निदेशक अभियोजन, कोटा/अजमेर।
3. उप निदेशक अभियोजन, भीलवाडा/बूंदी।
4. सम्बन्धित कार्मिका............................:—सम्बन्धित कार्यालध्यक्ष।
5. संस्थापन शाखा (मंत्रालयिक वरिष्ठ),अभि[illegible]र।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
5395474

Signature valid
Digitally signed by Ravi Sharma
Designation : Director
Date: 2024.01.29 1[illegible]:52 IST
Reason: Approved